सं. 4/25/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली-110003

दिनांक 19 नवम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में न रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को निश्चित चिकिसा भत्ता दिया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ता केंद्र सरकार के उन पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को, उनके दिन-प्रतिदिन के ऐसे चिकित्सा व्यय, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, पूरा करने के लिए दिया जाता है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संचालित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सदृश स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। इस विभाग के दिनांक 26.05.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत निश्चित चिकित्सा भत्ते की राशि दिनांक 01.09.2008 से 100 रूपए से बढ़ाकर 300 रूपए प्रतिमाह करने के आदेश जारी किए गए थे।

2. निश्चित चिकित्सा भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग पर सरकार पिछले कुछ समय से विचार कर रही थी। निश्चित चिकित्सा भत्ते की राशि 300 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रतिमाह करने को राष्ट्रपति की मंजूरी एतद्वारा सूचित की जाती है। निश्चित चिकित्सा भत्ता दिए जाने की अन्य शर्ते इस विभाग के दिनांक 19.12.97, 24.8.98, 30.12.98 तथा 18.8.99 के कार्यालय ज्ञापनों सं. 45/57/97-पी एंड पीडब्ल्यू (सी) में दिए गए अनुसार ही रहेंगी।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 22.10.2014 की अंतर्विभागीय टिप्पणी सं. 588/ई.वी./2014 द्वारा दी गई सम्मति तथा महालेखा परीक्षक के दिनांक 12.11.2014 के यूओ सं. 174 स्टाफ (नियमावली)/02-2011 के तहत उनके परामर्श से जारी किए गए हैं।

(हरजीत सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (डाक प्रेषण सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषित :

1. मुख्य नियंत्रक, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को इस अनुरोध सहित कि उपरोक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए पेंशन देने वाले बैंको को उपयुक्त निदेश जारी कर दें।
2. एनआईसी को डीओपी एंड पीडब्ल्यू की वेबसाइट www.pensionersportal.gov.in पर 'circulars' शीर्ष तथा 'Fixed Medical Allowance' उप शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित करने के लिए।